न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2017 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. श्री ललित गोलेच्छा पिता श्री धूलचन्द जैन निवासी कुशलगढ जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती अनिता पत्नी श्री ललित गोलेच्छा जैन निवासी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती फातमा बी पत्नी श्री जान मोहम्मद मुसलमान निवासी कालाखेत तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुशलगढ़ जिला बंसावाड़ा (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाड़ा दिनांक 20–04–2017 प्रकरण संख्या 03/2017

––––/––––

उपस्थित :– 1– श्री देवेन्द्र कुमार निगम अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3– राजकीय अधिवक्ता

आ दे श **दिनांक 05–09–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाड़ा के यहां रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम कालाखेत के खसरा संख्या 164 रकबा .25 एकड़ का आवंटन अप्रार्थी के नाम 4–10–2001 को किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 10–1–2002 से भूमियां आवंटी के नाम दर्ज की गई, यह आवंटन त्रुटिपूर्ण

है, क्योंकि आवंटन कपट पूर्वक प्राप्त किया गया। इन भूमियों पर प्रार्थिया आपने पति जान मोहम्मद के जीवनकाल से 51 वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त कर रही है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017—20 में प्रार्थिया के पति का कब्जा भी दर्ज है। मौके पर 50 वर्ष पुराना मकान बना होकर 50 हजार रूपये इन्द्रा आवास योजना से भी प्राप्त हुए है। प्रार्थियां विकलांग है। आवंटी पेशे से कृषक नहीं है तथा कालाखेत के निवासी भी नहीं है। कब्जा भी सिपुर्द नहीं हुआ। काश्त की शर्तो की पालना नहीं हुई। उद्घोषणा जारी नहीं हुई, आदि आधार लिये गये।

प्रकरण में आवंटीगण द्वारा खण्डन का जवाब पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 4/2012 निर्णय दिनांक 7—8—2012 से आवेदिका फातमा बी का आवेदन खारिज करते हुए, आवंटन आवटीगण का बहाल रखा। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्व इस न्यायालय में अपील संख्या 5/2012 पेश की जिसे इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 5—10—2016 से स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण मं निर्देशानुसार कार्यवाही के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। इस न्यायालय के प्रतिपेषण आदेशों के कम में अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 3/2017 दर्ज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20—4—2017 से आवेदन स्वीकार करते हुए अपीलान्ट आवंटीगण का आवंटन निरस्त कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट आवंटी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16—6—2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 की और से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या—2 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट के लोकस स्टेण्डाई पर विवेचन नहीं किया है। मौका पर्चा को ही तथा मकान को आधार बना कर निर्णय पारित कर दिया है। निहित अवधि के बाद स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। प्रकरण में दौराने कार्यवाही अपीलान्ट द्वारा आदेश–41, नियम–27 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में वह विवादित भूमियों का फसल खराबा का मुआवजा मिला, उसकी सूचना प्रस्तुत कर रहा है। इसके खण्डन में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा मौके के मकान के फोटोग्राफ परस्तुत किये। अपीलान्ट द्वारा जो पेश शुदा फसल खराबे के पत्रों/दस्तावेजों में विवादित आराजी अथवा उसके रकबे का मिलान नहीं होता। अतएव उक्त दस्तावेज अप्रासंगिक होने से तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा फोटोग्राफ अधिक सुसंगत होने से आवेदन अन्तर्गत आदेश–41, नियम–27 जाब्ता दीवानी खारिज किया जाता है।

जंहा तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है, इस न्यायालय द्वारा अपने पूर्व प्रकरणों में दिये प्रतिप्रेषण आदेशों में हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का तथ्यात्मक व विधिक विवेचन करते हुए विधि की स्थिति का भी विवेचन हुए, आवंटी का शर्तो की पालना नहीं किये जाने व कब्जा काश्त नही होने व करने के आधार पर आवंटन खारिज करने का जो आदेश पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20–04–2017 को यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05–09–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर